1 .7 लाख बहनाओं को मिली राशि

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 12 अप्रैल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आज आष्टा सीहोर में आयोजित राज्य स्तरीय लाड़ली बहना योजना कार्यक्रम के माध्यम से 35वी किस्त के रूप में प्रदेश की 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों को 1836 करोड़ राशि का अंतरण किया गया।

बहनों के खाते में आई 1500-1500 रुपए की राशि

कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा के मार्गदर्शन में श्योपुर जिले में जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालयों, ग्राम पंचायतों पर कार्यक्रम आयोजित कर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वेबकास्ट के माध्यम से लाइव प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्योपुर जिले की 01 लाख 07 हजार 720 लाडली बहनाओं को उनके बैंक खाते में 1500-1500 रूपये की राशि प्राप्त हुई। श्योपुर की लाडली बहनाओं को माह अप्रैल के लिए कुल 15 करोड 90 लाख 97 हजार 400 रूपये की राशि अंतरित की गई।

योजना के तहत श्योपुर जिले में कुल 1 लाख 7 हजार 720 बहनों को लाभ मिला है। नगरपालिका श्योपुर क्षेत्र की 11 हजार 670, नगर परिषद बडौदा क्षेत्र की 3355, नगर परिषद विजयपुर क्षेत्र की 2796, जनपद पंचायत क्षेत्र श्योपुर की 43 हजार 450, जनपद पंचायत कराहल क्षेत्र की 11 हजार 518 तथा जनपद पंचायत विजयपुर क्षेत्र की 34 हजार 931 लाडली बहनाओं को यह राशि प्राप्त हुई है।

संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन 13 को

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 12 अप्रैल। कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा के मार्गदर्शन में भारत रत्न डॉ भीमराव अम्बेडकर की जयंती अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे। उन्होंने सभी शासकीय कार्यालयों, ग्राम पंचायतों, स्कूल, कॉलेजों में 13 अप्रैल को संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन करने के निर्देश दिये है। संविधान की उद्देशिका का वाचन 13 अप्रैल को प्रात: 10 बजे सभी शासकीय कार्यालयो में किया जायेगा।

डॉ भीमराव अम्बेडकर की जंयती पर आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम

सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद ने बताया कि 13 अप्रैल को संविधान शिक्षा गतिविधि के तहत सभी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों एवं ग्राम पंचायतों में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन होगा। इसके साथ ही उक्त सभी स्थानों पर संविधान दीवार की स्थापना करने के निर्देश भी दिये गये है। इसी क्रम में 13 अप्रैल को डॉ भीमराव अम्बेडकर पार्क से शासकीय पीजी कॉलेज श्योपुर तक संविधान रैली आयोजित की जायेगी। 13 अप्रैल को ही जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा, इसी क्रम में दोपहर 12 बजे शासकीय पीजी कॉलेज श्योपुर में संविधान पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसी प्रकार 14 अप्रैल को जिला स्तरीय संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। संविधान दिवस कार्यक्रम जनपद स्तर पर भी आयोजित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

एक नजर में

रंगोली बनाकर दिया जल संरक्षण का संदेश

श्योपुर, 12 अप्रैल। कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा के मार्गदर्शन एवं सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद के निर्देशन में जन अभियान परिषद द्वारा संचालित बीएसडब्ल्यू एवं एमएसडब्ल्यू के छात्र छात्राओं द्वारा आज जल संरक्षण हमारी पहली प्राथमिकता विषय पर रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जल संरक्षण के विभिन्न बिन्दुओं पर आधारित आकर्षक रंगोली बनाई गई तथा ग्रामीणों को रंगोली के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान जन अभियान परिषद की ब्लॉक समन्वयक श्रीमती नीतू गौतम द्वारा जल संरक्षण के महत्व पर जानकारी प्रदान की गई तथा प्राचीन जल स्त्रोतों कुंआ, बाबडी, तलैया, तालाबो की साफसफाई के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया गया। इस अवसर पर लाखन कुशवाह, रामलाल अहिरवार, राम वरन कुशवाह, रेमली भिलाला, सुश्री सपना, सुश्री प्रीति सैन, सुश्री ममता शिवहरे, सुश्री ज्योति जाटव, कमल किशोर जाटव, अमित शर्मा तथा समस्त मेन्टर्स आदि उपस्थित रहें।

जल संवर्धन विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित

श्योपुर। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफएक्सीलेंस में जल संवर्धन कार्यक्रम के तहत भाषण प्रतियोगिता एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया। जल संवर्धन पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शिवानी जाटव बीए तृतीय वर्ष, द्वितीय स्थान पर मारिया दाऊदी बीकॉम प्रथम वर्ष, तृतीय स्थान पर तौफ्यिां अंसारी बीकॉम प्रथम वर्ष ने प्राप्त किया।

अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर 13 को

श्योपुर। जिला अस्पताल श्योपुर में भारत रत्न डॉ भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में आयोजित किये जा रहे कार्यक्रमों की श्रंखला में 13 अप्रैल को प्रात: 10 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉ आरबी गोयल ने बताया कि जिला चिकित्सालय श्योपुर स्थित ब्लड बैंक सेंटर में 13 अप्रैल को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जायेगा।

ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी

श्योपुर। थाना बड़ौदा सड़क दुर्घटना फरि सूरज पुत्र बबलेश आदिवासी उम्र 25 साल नि. ग्राम बागल्दा बड़ौदा ने रिपोर्ट की कि दि. 10 .04 .26 के 20 .00 बजे स्थान रतोधन का टपरा आम रोड़ बड़ौदा पर अज्ञात ट्रेक्टर चालक ने अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर फरि. के जीजा में पीछे से टक्कर मार दी जिससे चोटे आई। दि. 10 .04 .26 के 21 .42 बजे अप.क्र. 72/26 धारा 281,125 (ए), बीएनएस कायम कर लिया है।

8 ली. अवैध शराब जप्त

श्योपुर। थाना ढोढर अवैध शराब पकड़ी आरोपी गंगाधर पुत्र सांवलिया जाटव उम्र 51 साल नि. ग्राम नि.ग्राम मितावली थाना ढोढर को दि. 10 .04 .26 के 17 .30 बजे स्थान आरोपी का घर ग्राम मितावली पर कब्जे से 08 ली. हा.भ. की कच्ची शराब कीमती 800/-रु. के जप्त की। दि. 10 .04 .26 के 19 .02 बजे अप.क्र. 34/26 धारा 34 आब. एक्ट कायम कर लिया है।

पंचर सही जोड़ने की बात पर मारपीट

श्योपुर। थाना मानपुर मारपीट फरि. बन्टी पुत्र परिमाल मोगिया पुरा थाना वीरपुर ने रिपोर्ट की कि दि. 10 .04 .26 के 18 .00 बजे स्थान पंचर की दुकान रामबाड़ी पर अज्ञात दो व्यक्ति ने फरि की पंचर सही जोड़ने की बात को कहने के ऊपर से आरोपी ने टायलीवर व लात घूसो से मारपीट कर चोट पहुंचाई मां बहन की गंदी- गंदी गालियां दी । दि.11 .04 .26 के 13 .39 बजे धारा 115 (2),296 (बी),3 (5) बीएनएस अप. क्र. 50/26 धारा कायम कर ली ।

बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी

श्योपुर। थाना देहात सड़क दुर्घटना फरि. आकाश पुत्र रामकृष्ण मेहरा उम्र 27 साल नि. वार्ड क्र. 16 कमालखेड़ली श्यो. ने रिपोर्ट की कि दि. 09 .04 .26 के 22 .00 बजे स्थान प्रेमसर खातोली रोड़ पर आरोपी अज्ञात कृष्णा बस क्र. यूपी 80 जीटी 1475 के चालक ने अपनी बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर फरि. के दोस्त हेमन्त को मो.सा में टक्कर मार दी जिससे फरि. व फरि. के दोस्त हेमन्त को चोटे आई दि. 11 .04 .26 के 13 .51 बजे अप. क्र. 83/26 धारा 125ए, 281 बीएनएस कायम कर लिया है।

पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा

श्योपुर। स्वथ्य जीवन के लिए सही पोषण पर आधारित 8वां पोषण पखवाडा 09 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मनाया जा रहा है, जिसके तहत आंगनबाडी केन्द्रों पर मातृ एवं शिशु पोषण प्रारंभिक मष्तिक विकास, प्रारंभिक बाल्यवस्था, विकास एवं जागरूकता आदि की थीम पर विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अधिकारियों एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के लिए शपथ भी ली गई।

खेत की फसल की बात को लेकर मारपीट

श्योपुर, 12 अप्रैल। थाना विजयपुर मारपीट फरि. रामपति पत्नि गजुआ कुशवाह उम्र 65 साल नि. आरोदा थाना विजयपुर ने रिपोर्ट की कि दि. 07.04.26 के 06.00 के 06.15 बजे तक स्थान फरिया के घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे ग्राम आरोदा विजयपुर पर आरोपीगण, शिवसिंह कुशवाह, श्रीमति ममता कुशवाह नि. गण. आरोदा थाना विजयपुर ने खेत की फसल की बात को लेकर मां बहन की गंदी - गंदी गाली देकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी ।दि. 11.04.26 के 15.12 बजे अप. क्र. 115/26 धारा 115(2),296(ए),351 (3), 3(5) बीएनएस कायम कर लिया है।

संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए अभियान चलाने के निर्देश

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 12 अप्रैल। कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा द्वारा अक्षय तृतीया के अवसर पर संभावित बाल विवाह की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किये गये है। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों एवं जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देश दिये गये है कि बाल विवाह की रोकथाम हेतु व्यापक स्तर पर सतत् रूप से निगरानी रखी जायें तथा जागरूकता के लिए प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायें।

हेल्पलाइन नंबर 181, 1098 और 112 पर दें सूचना

उन्होंने निर्देश दिये कि अक्षय तृतीया तथा अन्य विशेष तिथियों में आयोजित होने वाले सामुहिक विवाह सम्मेलनों सहित अन्य विवाहों के दौरान बाल विवाह की रोकथाम पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जायें, इसके लिए ग्रामीण स्तर पर जागरूकता करते हुए लोगों को बाल विवाह नही करने, उन्हें रोकने तथा सूचना देने के लिए प्रेरित किया जायें। बाल विवाह की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर 181, 1098 एवं 112 पर सूचना प्रदान की जा सकती है।

इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि जिला एवं जनपद स्तर पर कन्ट्रोलरूम स्थापित करते हुए दूरभाष नंबर जारी किये जायें। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कॉलेजों, स्कूलों में बाल विवाह के दुष्परिणामों पर तथा बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायें। इसके साथ ही 19 एवं 20 अप्रैल को ग्रामीण, नगर स्तर पर शपथ का आयोजन किया जायें तथा अक्षय तृतीया के पूर्व स्कूलों एवं आंगनबाडियों के माध्यम से जागरूकता रैली आयोजित की जायें। बाल विवाह की रोकथाम और जागरूकता के लिए ग्रामों में समूह बैठको का आयोजन भी किया जायें। उन्होंने निर्देश दिये कि बाल विवाह की सूचना प्रदान करने के लिए ग्राम एवं वार्ड स्तर पर शिक्षक, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, शौर्यादल की अध्यक्ष, मातृ सहयोगिनी समिति की सदस्य, समूह की सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत सचिव आदि को शामिल करते हुए सूचना दलो का गठन सुनिश्चित किया जायें। इसके अलावा महिला बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालय स्तर पर उडनदस्तो का गठन भी सुनिश्चित किया जायें।

बाल विवाह रोकने जागरूक किया जाए

कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा ने सभी नागरिको, ग्रामीणों, प्रबुद्धजनो, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है, इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जायें तथा बाल विवाह को रोकने के लिए सहयोग प्रदान किया जायें। शासन द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढाओ योजना के तहत प्रावधान किये गये है कि वर-वधु की आयु क्रमश: 21 एवं 18 वर्ष से कम नही होना चाहिए।

भारतीय शिक्षण मंडल का स्थापना दिवस समारोह आयोजित

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 12 अप्रैल। भारतीय शिक्षण मंडल जिला श्योपुर द्वारा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन शासकीय सांदीपनी विद्यालय, श्योपुर में अत्यंत गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, संस्कार एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न आयामों पर सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए गए।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मध्य भारत प्रांत के सह मंत्री पियूष तांबे उपस्थित रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में भारतीय शिक्षा पद्धति की मौलिकता और उसके वैश्विक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय शिक्षण मंडल राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

विशिष्ट उपस्थिति में आरके उपाध्याय (पूर्व संयुक्त संचालक, प्रांत प्रतिनिधि एवं शिक्षक शिक्षा गतिविधि प्रभारी) ने शिक्षकों की भूमिका को समाज का आधार स्तंभ बताते हुए शिक्षा में नैतिक मूल्यों के समावेश पर बल दिया।

कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता डॉ. विशाल गौतम ने भारतीय शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं और आधुनिक संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता पर विस्तार से अपने विचार रखे। वहीं, प्रमुख वक्ता जितेंद्र शर्मा ने भी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार एवं भारतीय दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओपी शर्मा द्वारा की गई, जिन्होंने अपने संबोधन में शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की बात कही। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित आदित्य चौहान (मुख्य प्रबंध ट्रस्टी, गायत्री परिवार, श्योपुर) ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण की आवश्यकता बताई।

अतिथियों एवं प्रतिभागियों का किया स्वागत

कार्यक्रम के संयोजक प्रमोद सिंह सिकरवार ने आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत की तथा सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया। वहीं, कार्यक्रम के निवेदक एवं आयोजक शासकीय सांदीपनी विद्यालय के प्राचार्य अशोक खंडलेवाल रहे, जिन्होंने पूरे आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समारोह के अंत में आभार प्रदर्शन किया गया और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के महत्व को पुन: रेखांकित करते हुए कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, विद्यार्थी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

दहेज में की मांग पर मारपीट

श्योपुर, 12 अप्रैल। थाना ढोढर दहेज प्रताड़ना फरिया. अंकिता पत्नी राजू कुशवाह उम्र 22 साल नि. हासिलपुर थाना ढोढर ने रिपोर्ट की कि दि. 30.01.26 के 16.30 बजे स्थान फरि का ससुराल ग्राम हासिलपुर थाना ढोढर पर आरोपीगण, राजू पुत्र परमसुख, सीताराम पुत्र परमसुख, परमसुख पुत्र रामचरण, सोमपति पत्नी परमसुख, लक्ष्मी पत्नी सीताराम जातिगण माली नि.गण हासिलपुर थाना ढोढर ने फरि के ससुराल द्वारा दहेज में एक मो.सा. एवं 02 लाख रुपये की मांग की ना देने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। दि. 10.04.26 के 16.55 अप.क्र. 33/26 धारा 85,115 (2),351 (3),3(5) बीएनएस ग दहेज प्रतिषेध अधि. कायम कर लिया है।

सामूहिक विवाह सम्मेलनों की अनुमति से पूर्व आयु संबंधी दस्तावेजों के सत्यापन के निर्देश

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 12 अप्रैल। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत बाल विवाह की संख्या शून्य करने और देश भर में युवा किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु किये जा रहे सतत् प्रयासों के क्रम में संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए प्रयास किये जा रहे है।

सामुहिक विवाह सम्मेलन के दौरान बाल विवाह की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद द्वारा सभी एसडीएम को निर्देश जारी किये गये है कि अक्षय तृतीया 19 एवं 20 अप्रैल के अवसर पर सामूहिक विवाह सम्मेलनों को आयोजित करने वाली संस्था, समिति, संगठन, समुदाय द्वारा समस्त वर-वधु की आयु संबंधी वैधानिक दस्तावेज का सत्यापन सुनिश्चित किया जायें। उन्होंने कहा कि आयु संबंधी सत्यापन के लिए अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, आयु संबंधी मेडिकल प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराये जाने पर एवं समस्त वर-वधु द्वारा वैधानिक आयु पूर्ण करने पर ही सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति प्रदान की जायें।

उन्होंने निर्देश दिये कि आयोजनो की अनुमति के पूर्व प्रत्येक सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मलित होन बाले वर-वधु के आयु संबंधी वैधानिक दस्तावेज अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराये जायें तथा अधीनस्थ अमले के माध्यम से सामूहिक विवाह सम्मेलनों पर निगरानी रखी जायें। वर-वधु की आयु कम पाये जाने पर बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम (पी.सी.एम.ए.) 2006 के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गये है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा एसडीएम को बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम (पी.सी.एम.ए.) 2006 के तहत बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी घोषित किया गया है।

नारी वंदन पखवाड़े के तहत कार्यक्रम आयोजित

श्योपुर, 12 अप्रैल। मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार नारी वंदन पखवाड़े के अंतर्गत शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय श्योपुर में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ ओपी शर्मा, सहायक संचालक श्रीमती मधु शर्मा द्वारा समाज में बढ रहे महिलाओं के योगदान तथा खेल, राजनीति, विज्ञान, प्रशासनिक सेवाओं आदि के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं के बारे में जानकारी देकर विद्यार्थियों को नारी सम्मान के लिए प्रेरित किया गया।

सभी नगरीय निकायों एवं जनपदों में होगा सामूहिक विवाह सम्मेलन

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 12 अप्रैल। जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला के अनुमोदन अनुसार 1 मई बुद्व पूर्णिमा के अवसर पर जिले की सभी नगरीय निकायों एवं जनपदों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना अंतर्गत सामुहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किये जायेगे। जिसके लिए 15 अप्रैल तक आवेदन किये जा सकते है।

बुद्व पूर्णिमा पर होने वाले सम्मेलन के लिए आवेदन 15 अप्रैल तक

उन्होंने बताया कि इसके अलावा कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत अक्षय तृतीया के अवसर पर 19 अप्रैल 2026 को समस्त निकायों अर्थात सभी जनपद पंचायतो एवं देवउठनी ग्यारस (तुलसी विवाह) के अवसर पर 20 नवंबर 2026 तथा बंसत पंचमी के अवसर पर 11 फरवरी 2027 को सभी जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों द्वारा सामुहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किये जायेगे। उक्त तिथियों में अधिक जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट स्थित सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

13 तक जमा करा सकते हैं आवेदन

उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्रीमती शशिकिरण इक्का ने बताया कि बुद्व पूर्णिमा के अवसर पर 1 मई को नगरपालिका श्योपुर, नगर परिषद विजयपुर एवं बडौदा तथा जनपद पंचायत श्योपुर, कराहल एवं विजयपुर के तत्वाधान में योजना के तहत सामुहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किये जा रहे है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक अभिभावक अपने आवेदन आयोजन तिथि से 15 दिवस पूर्व 15 अप्रैक तक संबंधित निकायों में जमा करा सकते है।

संविधान दीवार लेखन के माध्यम से दिया गया जागरूकता का संदेश

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 12 अप्रैल। कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा के मार्गदर्शन एवं सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद के निर्देशन में भारत रत्न डॉ भीमराव अम्बेडकर की जयंती अवसर पर विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के क्रम में जिले की समस्त जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर च्च्संविधान दीवार लेखनज्ज कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अभियान के अंतर्गत आमजन में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से पंचायत भवनों एवं शासकीय कार्यालयों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का दीवार लेखन कराया गया है।